O/o.E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ....134....
Date ....08 APR 2022
AGM (IT) –
SE (O)/SE ....
EE ....
Section....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
(अपील प्रकरण क्रमांक 04/2022 दिनांक 11.03.2022)

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –04/2022/ 22 रायपुर, दिनांक 05/04/2022

श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 05/04/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, के निर्णय दिनांक 03.02.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित पत्र क्रमांक 01–05/पी.डी.–दो/5494 दिनांक 29.12.2021 के बिन्दु क्रमांक 09 एवं 13 में उल्लेख किया गया है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को पदोन्नति बाबत् बंद लिफाफा को खोल लिया गया है। अतः उक्त बंद लिफाफा में DPC दिनांक 05.11.2019 में पारित निर्णय जिस पर BOD द्वारा सहमत निर्णय बंद था, कि सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील का कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अधूरी जानकारी है साथ ही जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है कि जानकारी सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या उठाई गई समस्या का समाधान करना काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अवगत होवे की डी.पी.सी. की बैठक दिनांक 08.11.2019 के नोटशीट के बिन्दु क्रमांक 16 में उल्लेख किया गया है कि एन.डब्ल्यू.हेनरी का पदोन्नति आदेश उनके विरूद्ध चल रहे विभागीय जांच के पूर्ण होने एवं विभागीय जांच बरी होने तक लिफाफा बंद किया जाता है। यह तथ्य काल्पनिक है न ही समस्या का समाधान या सृजित करने हेतु लेख किया गया है। अतः अपीलार्थी को दस्तावेज उपलब्ध कराया जावे अथवा उस कार्यालय का उल्लेख किया जावे जहॉ यह जानकारी उपलब्ध है जिससे उक्त जानकारी प्राप्त की जा सकें। अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि बंद लिफाफे में जो दस्तावेज बंद था। अब खोला जा चुका है। उसकी प्रतिलिपि उन्हें दी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण
		29.03.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित, अगली तिथि 31.03.2022
		31.03.2022	दोनों पक्ष उपस्थित, सुनवाई सम्पन्न।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही के तर्क :–	जनसूचना अधिकारी तथा DPIO द्वारा तर्क दिया कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 243 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उल्लेख अनुसार जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन में स्पष्टतः	

		नहीं लिखा था कि कौन सा दस्तावेज चाहिए। "BOD द्वारा सहमत निर्णय बंद था" वाक्यांश सही नहीं था। इसी अनुक्रम में लेख है कि सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि लिफाफे में बंद किया गया दस्तावेज चाहिए। परंतु चूंकि पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। यह उच्च न्यायालय के निर्णय से भी जुड़ा है। अतः प्रक्रियाधीन होने के कारण दस्तावेज नहीं दिया जा सकता।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी और DPIO द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलार्थी को दी गयी सूचना तथ्य के अनुरूप नहीं होने के कारण अपील में हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

DPIO द्वारा तालिका (IV) में दिये गये तर्क के पक्ष में केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रस्तुत UNION OF INDIA बनाम RAJESH KUMAR TYAGI निर्णय कैबिनेट की प्रक्रियाओं से संबंधित है। और प्रक्रियाधीन होने के कारण अपीलार्थी को अंनत काल तक सूचना प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः उन्हे बंद लिफाफा में खोले गए निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए।

(4) – उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत चाही गयी निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज 07 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदोन्नति बाबत् बंद लिफाफा को खोल लिया गया है। अतः उक्त बंद लिफाफा में रखे गए पारित निर्णय की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए।

तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. कमांक 04/2022 दिनांक 11.03.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी, अति. मुख्य अभियंता, फ्लेट नं. 5204, शांति रेसीडेंसी, गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के पास, पंचपेड़ी नाका, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर– उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in